

25



सं.7/4/2013-वीएस-(सीआरएस)/743

भारत सरकार

GOVERNMENT OF INDIA

गृह मंत्रालय

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

भारत के महारजिस्ट्रार का कार्यालय

जीवनांक प्रभाग, पश्चिमी खंड-1, आर.के.पुरम, नई दिल्ली - 110066

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL, INDIA

V.S. Division, West Block-1, R.K.Puram, New Delhi-110066

Tele-fax.NO.23383761@26104012

E-mail-drg-crs.rgi@nic.in

दिनांक: 03.07.2015

परिपत्र

**विषय: अनाथ/परित्यक्त बच्चों के जन्म के पंजीकरण की प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश जारी करना ।**

अनाथ बच्चों के जन्म के पंजीकरण के लिए प्रक्रिया नीचे दी गई है । ये दिशा निर्देश जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 की धारा 3(3) के अन्तर्गत जारी किए जाते हैं ।

जन्म और मृत्यु पंजीकरण (आरबीडी) अधिनियम, 1969 की धारा 8 के अन्तर्गत अनाथालय अथवा इसी प्रकार के संस्थान के बच्चों के मामले में संबंधित संस्थान के प्रभारी अथवा केयरटेकर और ऐसे संस्थान से बाहर के बच्चों के मामलों में अभिभावक, संबंधित रजिस्ट्रार, जन्म और मृत्यु को जन्म की घटना की रिपोर्ट करने के लिए जिम्मेदार है । ऐसे मामलों में, हो सकता है कि जन्म संबंधी विवरणों यथा जन्म स्थान, जन्म तिथि, माता-पिता के नाम के बारे में जानकारी हो भी सकती है अथवा नहीं भी हो सकती है ।

(क) अनाथ बच्चे के जन्म स्थान के बारे में जानकारी न होने पर, स्थान जहाँ अनाथालय स्थित है अथवा जहाँ बच्चा रह रहा है, उस स्थान को बच्चे का 'जन्म स्थान' माना जाए ।

(ख) बच्चे की जन्म तिथि के बारे में जानकारी न होने पर, वह क्षेत्र जहाँ पर अनाथालय स्थित है अथवा जहाँ बच्चा रह रहा है, उस क्षेत्र के मुख्य चिकित्सा अधिकारी (सीएमओ) द्वारा निर्धारित आयु और एक सम्भावित जन्म तिथि दे दी जाती है । सीएमओ द्वारा दी गई जन्म तिथि को जन्म रिपोर्टिंग फार्म में जन्म तिथि के रूप में दर्ज किया जा सकता है ।

(ग) माता-पिता के नाम की जानकारी संस्थान के प्रभारी/अभिभावक को मालूम होने की स्थिति में उसे ही जन्म रिपोर्टिंग प्रपत्र में दर्ज करें । माता-पिता के नाम की जानकारी न होने के मामले में, माता-पिता के नाम का कॉलम जन्म रिपोर्टिंग फार्म में खाली रखा जाएगा ।

R=1114

पहले से पंजीकृत नहीं करवाया गया था, तो अनाथालय को उपयुक्त के अनुसार बच्चे के जन्म पंजीकरण के लिए विवरण, रिपोर्ट करने चाहिए।

- (ड) यदि बच्चे के नाम की जानकारी है तो उसे जन्म रिपोर्टिंग प्रपत्र में दिया जाना चाहिए। यदि उसकी जानकारी न हो तो अनाथालय के प्रभारी/अभिभावक को बच्चे को एक नाम देना होगा और उसी को जन्म रिपोर्टिंग फार्म में दर्ज कराएं।
- (च) विलंबित पंजीकरण के मामलों में धारा 13(1), (2) और (3) में दी गई प्रक्रिया अपनाई जाए।
- (छ) अनाथालय के प्रभारी/अभिभावक का यह कर्तव्य होगा कि उनकी देखभाल के अन्तर्गत रहने वाले बच्चों का जन्म यथाशीघ्र पंजीकृत कराएं।
- (ज) संबंधित रजिस्ट्रार जिसके क्षेत्राधिकार में अनाथालय स्थित है अथवा जहां अनाथ रह रहा है, उस क्षेत्र का संबंधित रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु, जन्म रिपोर्टिंग प्रपत्र में उपलब्ध विवरणों के आधार पर, जन्म को पंजीकृत करेगा।
- (झ) पंजीकरण के पश्चात बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है और जन्म प्रमाण पत्र में 'अनाथ बच्चा' शब्द नहीं लिखा जाएगा।
2. दत्तक ग्रहण: दत्तक ग्रहण के मामलों में इस कार्यालय के दिनांक 12 मार्च, 2012 के परिपत्र संख्या 1/7/2011-वीएस-सीआरएस में दर्शाई गई निर्धारित प्रक्रिया अपनाई जाए।
3. आपसे अनुरोध है कि सभी पंजीकरण पदाधिकारियों को सख्ती से अनुपालन के लिए आवश्यक निदेश दें। संबंधित अधिकारियों को जारी निदेशों की एक प्रति रिकार्ड हेतु इस कार्यालय को अद्योषित की जाए।
4. यह भारत के महारजिस्ट्रार के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

पी. ए. मिनी

(पी.ए.मिनी)

उप महारजिस्ट्रार (सीआरएस)

सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के मुख्य रजिस्ट्रार/अपर/उप मुख्य रजिस्ट्रार, जन्म एवं मृत्यु।